

# झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 299 वर्ष 2013

उमा भगत, श्री राजेंद्र प्र0 भगत की पत्नी, निवासी-टैगोर हिल रोड,, मोराबादी,  
डाकघर-मोराबादी, थाना-बरियातु, जिला-राँची (झारखंड) ... .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, द्वारा सचिव, शहरी विकास, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना-धुर्वा, जिला-राँची
2. प्रधान सचिव, पंजीकरण विभाग, झारखंड सरकार
3. पंजीकरण महानिरीक्षक, झारखंड सरकार, राँची
4. उप-निबंधक, उप-निबंधक कार्यालय, राँची
5. श्री अतुल कुमार अग्रवाल, पे0 स्वर्गीय अजय कुमार अग्रवाल, स्वामी/निदेशक, एलाकेरिटी कन्सट्रक्शन 17/2 बसंत विहार, कांके रोड, थाना-गोंडा, जिला-राँची
6. राँची नगर निगम, पी0ओ0 और जी0पी0ओ0, थाना-सदर, जिला-राँची
7. आर0आर0डी0ए0, पी0ओ0 और जी0पी0ओ0, थाना-चुटिया, जिला-राँची

.... .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री राजीव कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री कौशिक सरखेल, अधिवक्ता

**06 / दिनांक:11 जनवरी, 2021**

इस मामले की सुनवाई पक्षों की सहमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है।

श्री राजीव कुमार, याचिकाकर्ता क अधिवक्ता, प्रारंभ में निवेदन किया है कि रिट याचिका को निष्प्राय किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर उठाये गये व्यथा का निवारण किया जा चुका है।

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता को ऐसे निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।

इसके मद्देनजर, रिट याचिका को निष्प्राय माना जाता है, तदनुसार, इसे निष्पादित किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)